कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : .....

संख्याःई– 8291 /जी0एस0

दिनांकः 04 नवम्बर, 2023
दिसम्बर

आदेश

1. प्रत्यावेदक डॉ0 अजय सिंह, सह आचार्य, विधि विभाग, का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या सम्बद्ध/सहयुक्त/घटक महाविद्यालय डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 68 के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना/आदेश दिनांक 12.07.2023 के माध्यम से विपक्षी प्रो0 अशोक कुमार राय, विधि विभाग, का0सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय को संकायाध्यक्ष, विधि संकाय के पद पर दिनांक 23.07.2023 को उनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात दिनांक 24.07.2023 से चक्रानुक्रम के विपरीत पुनः अगले तीन वर्षों के लिए संकायाध्यक्ष नामित किये जाने के विरुद्ध एवं विपक्षी के पश्चात प्रत्यावेदक के वरिष्ठ शिक्षक होने के कारण स्वयं को उक्त पद पर नियुक्त कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय को आदेशित किये जाने की याचना की गयी है।

2. प्रत्यावेदक का मुख्य कथन है कि विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष, विधि, डॉ0 अशोक कुमार राय का कार्यकाल दिनांक 23.07.2023 को समाप्त हो चुका है। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में असिस्टेण्ट प्रोफेसर एवं प्राचार्य का ही मौलिक पद है। एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर को कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम के अधीन केवल वेतनमान में प्रोन्नति का लाभ ही अनुमन्य है, महाविद्यालयों में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष का कोई पद नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय परिनियम 2.10, वरिष्ठता एवं चक्रानुक्रम में विहित प्रावधान के विरुद्ध, दिनांक 24.07.2023 से अगले तीन वर्ष हेतु पुनः संकायाध्यक्ष, विधि के पद पर विपक्षी डा0 राय की पुर्ननियुक्ति कर दी गई है जिसके विरुद्ध प्रत्यावेदक द्वारा विश्वविद्यालय को दिनांक 25.07.2023, 31.07.2023 एवं 05.08.2023 को अपने प्रत्यावेदन विश्वविद्यालय को प्रेषित किये गये हैं। प्रत्यावेदक परिनियम 2.10(1) एवं

प्रवृत्त शासनादेशों के अनुक्रम में संकाय में विपक्षी डॉ0 अशोक कुमार राय के पश्चात वरिष्ठ शिक्षक एवं संकायाध्यक्ष पद पर नियुक्ति का हकदार है अतएव प्रत्यावेदक को विधि संकाय का संकायाध्यक्ष नियुक्त करने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाये।

3. विपक्षी डा0 अशोक कुमार राय का मुख्यतः यह कथन है कि शासनादेश दिनांक 01.11.2021 के आलोक में उच्च शिक्षा निदेशालय के पत्र दिनांक 28.03.2022 द्वारा प्रोफेसर पद पर दिनांक 17.11.2021 को इनकी प्रोन्नति हुई थी जबकि प्रत्यावेदक को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर दिनांक 14.05.2022 को प्रोन्नति प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 27(4) एवं रिट ए नं0 46280 ऑफ 2014 डॉ0 नन्दलाल प्रति स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं 04 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2018 के आलोक में विश्वविद्यालय के विधि संकाय में विपक्षी के इकलौते प्रोफेसर होने, संकायाध्यक्ष को वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा प्रोफेसरों में से ही चयनित/नियुक्त किये जाने की अधिनियमित व्यवस्था होने एवं प्रत्यावेदक के एसोसिएट प्रोफेसर होने की स्थिति में डॉ0 राय को संकायाध्यक्ष, विधि संकाय नियुक्त करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा पत्र दिनांक 12.07.2023 निर्गत किया गया है ।

4(अ). विश्वविद्यालय की आख्या में मुख्यतः उल्लेख है कि उच्च शिक्षा अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 01.11.2021, जिसमें यू0जी0सी0 विनियम, 2018 के प्रस्तर 6.4 एवं 6.4बी के नियमों का उल्लेख करते हुए विश्वविद्यालय अधिनियम व परिनियमों में निर्धारित व्यवस्था/प्रावधान एवं समय–समय पर निर्गत संगत शासनादेशों के अनुसार कैरियर एडवांसमेण्ट स्कीम के अन्तर्गत महाविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के पद पर यू0जी0सी0 निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण किये जाने की दशा में प्रोन्नति का लाभ उपबन्धित किया गया है। उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के शासनादेश दिनांक 01.11.2021 के साथ ही शासनादेश दिनांक 31.12.2010 सपठित शासनादेश दिनांक 03.12.2013 एवं शासनादेशों के संदर्भगत

उच्च शिक्षा निदेशक, उ0प्र0, डिग्री अर्थ–2 अनुभाग, प्रयागराज के पत्र दिनांक 28.03.2023 के आलोक में विपक्षी डॉ0 अशोक कुमार राय की प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति दिनांक 17.11.2021 को हुई है एवं प्रत्यावेदक की एसोसिएट प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति दिनांक 14.05.2022 को हुई है ।

4(ब). विश्वविद्यालय की आख्या में यह भी उल्लेख है कि अधिनियम, 1973 की धारा 27(4) के प्रावधान : "*There shall be a Dean of each Faculty who shall be chosen from amongst the Professors by rotation in order of seniority & shall hold office for three years: Provided also that if there is no Professor in the Faculty, the office of the Dean shall be held by Readers and if there are no Readers, then by other teachers in that Faculty, by rotation in order of seniority*," रिट ए नं0 46280 ऑफ 2014 डॉ0 नन्दलाल प्रति स्टेट ऑफ यू0पी0 व 04 अन्य में मा0 न्यायालय की यह अवधारणा कि प्रत्येक संकाय का संकायाध्यक्ष प्रोफेसर के मध्य चक्रानुक्रम से नियुक्त किया जायेगा । संकाय में शिक्षकों में से संकायाध्यक्ष की नियुक्ति उस दशा में की जायेगी जब कोई प्रोफेसर उपलब्ध न हो तथा मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन वरीय होने आदि के आलोक में विपक्षी प्रो0 (डॉ0) राय के विधि संकाय में एकमात्र प्रोफेसर उपलब्ध होने, संकायाध्यक्ष का वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा प्रोफेसर्स में से ही चुने जाने की व्यवस्था होने तथा प्रत्यावेदक के एसोसिएट प्रोफेसर होने की स्थिति में प्रो0 राय को संकायाध्यक्ष नियुक्त करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा पत्रादेश दिनांक 12.07.2023 निर्गत किया गया है ।

5(अ). विपक्षी प्रो0 राय एवं विश्वविद्यालय की आख्याओं पर प्राप्त प्रत्यावेदक के प्रत्युत्तर में प्रत्यावेदक द्वारा अपने प्रत्यावेदन में उठाये गये तथ्यों पर बल देते हुए यह उल्लेख किया गया है कि विपक्षी व संकायाध्यक्ष, विधि का कार्यकाल दिनांक 23.07.2023 को समाप्त हो जाने, विश्वविद्यालय द्वारा परिनियम 2.10(1) में वरिष्ठता एवं चक्रानुक्रम के विहित प्रावधानों के विरुद्ध पुनः अगली तिथि से तीन वर्ष के लिए

विपक्षी को संकायाध्यक्ष, विधि संकाय के रूप में पुर्ननियुक्त कर दिये जाने सम्बन्धी निर्णय के विरूद्ध प्रत्यावेदक द्वारा विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति को भी अपने पत्र दिनांक 31.07.2023 एवं 07.08.2023 प्रेषित किये गये, किन्तु निर्णय न आ पाने के कारण प्रत्यावेदक द्वारा मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में रिट ए संख्या : 6410/2023 अजय कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य थ्रू प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा योजित किये जाने पर मा0 न्यायालय द्वारा कुलाधिपति से 02 माह में निर्णय लिये जाने हेतु आदेश दिनांक 28.08.2023 पारित किया गया ।

5(ब). प्रत्यावेदक का यह भी कथन है कि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 27, 64(2) एवं परिनियम 2.10(1)(क) एवं (ख) को साथ पढ़ने पर अध्यापकों के मध्य चक्रानुक्रम महत्वपूर्ण अवयव होने के कारण इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अधिनियम, 1973 में विहित (prescribed) का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2(14) के अनुसार परिनियमों में विहित रीति से है। संकायाध्यक्ष के चुनाव में परिनियमावली में प्रदत्त शब्द 'अध्यापक' के मध्य ही चक्रानुक्रम विनिश्चित होगा और इस प्रकार चक्रानुक्रम के नियम को परिवर्तित करते हुए विपक्षी डॉ0 राय को चक्रानुक्रम की अवहेलना में पुनः संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाना विधिक प्रावधानों का अविवेकपूर्ण निर्वचन होगा । अधिनियम, 1973 की धारा 64(2) एवं परिनियम 2.10(1)(क) एवं (ख) के सपठित निर्वचन के अनुसार प्रत्यावेदक जो वरिष्ठता अनुक्रम में क्रम संख्या (2) पर है को संकायाध्यक्ष हेतु विचारित किये जाने का अधिकार है । विपक्षी डॉ0 राय जो पूर्व में दिनाक 24.07.2020 से दिनांक 23.07.2023 तक के कार्यकाल के लिए प्रोफेसर न रहते हुए भी संकायाध्यक्ष चुने गये थे, को पुनः कैरियर एडवांसमेण्ट योजना के अंतर्गत प्रोफेसर मानकर चक्रानुक्रम की अवहेलना करके पुनः संकायाध्यक्ष नियुक्त किया जाना अधिनियम व परिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है अतएव प्रत्यावेदक के संदर्भ/प्रत्यावेदनों पर अधिनियम, 1973 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त विधिक तथ्यों एवं बिन्दुओं के आलोक में निर्णय लिया जाये ।

6(अ). प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रश्नगत आदेश/अधिसूचना दिनांक 12.07.2023 अवलोकनीय है जो निम्नवत् उद्धृत है :

"एतद्द्वारा संकायाध्यक्ष, विधि संकाय, प्रो0 अशोक कुमार राय, विधि विभाग, का0सु0 साकेत पी0जी0 कॉलेज, अयोध्या का कार्यकाल दिनांक 23.07.2023 तक है। तद्क्रम में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–27 की उपधारा–4 में वर्णित प्रावधानानुसार वरिष्ठताक्रम से चक्रानुक्रम में विधि संकाय में कोई भी अन्य प्रोफेसर पद पर न होने के कारण कुलपति महोदया के आदेशानुक्रम में प्रो0 अशोक कुमार राय, विधि विभाग, का0सु0 साकेत पी0जी0 कॉलेज, अयोध्या को संकायाध्यक्ष, विधि संकाय नामित किया जाता है।

संकायाध्यक्ष, विधि संकाय का कार्यकाल दिनांक 24.07.2023 से तीन वर्षों अर्थात दिनांक 23.07.2026 तक अथवा अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पूर्व में हो, तक होगा।"

6(ब). प्रत्यावेदक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट ए संख्या 6410 ऑफ 2023 अजय कुमार सिंह बनाम प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.08.2023 का सुसंगत अंश अवलोकनीय है :

"*2. Argument of learned counsel for the petitioner is that reference filed under section 68 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 may be decided by the Chancellor.*

3. Without going into any other contention on merit, the present petition is disposed off requesting the Chancellor, to take a decision on the request made by the petitioner in accordance with law after hearing the affected parties, if possible, within a period of two months from today."

6(स). प्रकरण के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 व परिनियमावली, 1978 के सुसंगत प्रावधान अवलोकनीय हैं जो निम्नवत् हैं :

धारा 2(14). *"विहित" परिनियमों द्वारा विहित से अभिप्रेत है।*

धारा 2(19). *"अध्यापक" अध्याय XI–क को छोड़कर इस अधिनियम के प्रावधानों के सम्बन्ध में किसी विश्वविद्यालय में या संस्थान में या विश्वविद्यालय के घटक या सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में उस विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किसी भी विषय या पाठ्यक्रम में शिक्षण प्रदान करने या मार्गदर्शन देने या अनुसन्धान करने के लिए नियोजित व्यक्ति से अभिप्रेत हैं और उसमें प्राचार्य अथवा निदेशक सम्मिलित हैं।*

धारा 27(4). *प्रत्येक संकाय का संकायाध्यक्ष होगा जिसे वरिष्ठता के क्रम से चक्रानुक्रम द्वारा प्रोफेसरों में से चुना जायेगा जिसका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।*

परन्तु यह भी कि यदि संकाय में कोई प्रोफेसर न हो तो संकायाध्यक्ष का पद रीडरों द्वारा धारित किया जायेगा और यदि कोई रीडर न हों तो उस संकाय में अन्य अध्यापकों द्वारा वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा धारित किया जायेगा।

धारा 64(1) *इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारियों और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों को, जहां तक सम्भव हो चुनाव के सिवाय अन्य पद्धति द्वारा चुना जा सकेगा,*

धारा 64(2) *जहाँ इस अधिनियम या परिनियमों में चक्रानुक्रम से द्वारा किसी नियुक्ति अथवा वरिष्ठता के अनुसार या अन्य अर्हताओं द्वारा किसी भी नियुक्ति के लिए प्रावधान किया गया है तो चक्रानुक्रम एवं वरिष्ठता के अवधारण एवं अन्य अर्हताओं की रीति ऐसी होगी जिसे विहित किया जा सकेगा ।"*

परिनियम 2.10(1) *कोई ऐसा अध्यापक जिसने इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को :*

(क) तीन वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए संकायाध्यक्ष का पद धारण कर लिया हो, यह समझा जाएगा कि वह अपनी बारी पूरी कर चुका है और ज्येष्ठतम में पात्र अगला अध्यापक इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से संकायाध्यक्ष का पद धारण करेगा।

(ख) संकायाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष पूरे न किये हों, तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक संकायाध्यक्ष का पद धारण किये रहेगा और ऐसी अवधि पूर्ण होने पर, ज्येष्ठता क्रम में पात्र अगला अध्यापक संकायाध्यक्ष के रूप में पद धारण करेंगा।."

(2) "ऐसी अवधि की, जिसमें किसी अध्यापक ने संकायाध्यक्ष का पद धारण किया हो, गणना करने के प्रयोजनार्थ :

(क) जिस अवधि में ऐसे अध्यापक को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश द्वारा संकायाध्यक्ष का पद धारण करने या उस पर बने रहने से निषिद्ध किया गया था, उसको निकाल दिया जायेगा।

(ख) *जिस अवधि में किसी अध्यापक को विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी के या किसी न्यायालय के आदेश के अधीन संकायाध्यक्ष का पद धारण करने*

की अनुमति दी गई हो, उस अवधि की गणना, यदि अन्ततः में यह पाया जाय कि उसे उक्त अवधि में उसे पद को धारण करने का विधिक हक नहीं था, अगली बार उसकी बारी आने पर उसके संकायाध्यक्ष की पदावधि में की जायेगी।"

7. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यावेदक के कथनानुसार विपक्षी डॉ0 अशोक कुमार राय प्रोफेसर न रहते हुए भी दिनांक 24.07.2020 से 23.07.20.23 तक संकायाध्यक्ष, विधि के पद पर नियुक्त/कार्यरत रहे। कैरियर एडवांसमेण्ट योजनान्तर्गत डॉ0 राय को प्रोफेसर मानकर/प्रोन्नति प्राप्त होने पर, उक्त अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 27(4) के प्रावधान, रिट ए नं0 46280 ऑफ 2014 डॉ0 नन्दलाल प्रति स्टेट ऑफ यू0पी0 व 04 अन्य में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.05.2018 एवं शासनादेशों आदि के आलोक में विपक्षी डॉ0 राय को विधि संकाय में एकमात्र प्रोफेसर उपलब्ध होने की स्थिति में आदेश दिनांक 12.07.2023 द्वारा विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष, विधि, पद पर पुनः नामित कर दिया गया है जो अधिनियम की धारा 64(2) एवं परिनियम 2.10 के सर्वथा विपरीत है अतएव अधिनियम की धारा 64(2) एवं परिनियम 2.10(1)(क) एवं (ख) के सपठित निर्वचन के अनुसार वरिष्ठता अनुक्रम में क्रम संख्या (2) पर स्थित प्रत्यावेदक को संकायाध्यक्ष, विधि नियुक्त करने हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाये।

8. प्रकरण के समग्र अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आक्षेपित आदेश दिनांकित 12.07.2023 के अनुसार संकायाध्यक्ष, विधि संकाय प्रो0 अशोक कुमार राय का कार्यकाल दिनांक 24.07.2023 से तीन वर्ष अर्थात दिनांक 23.07.2026 तक अथवा अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले हो, होगा। उपरोक्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम व परिनियम के सुसंगत निम्न प्रावधान अवलोकनीय हैं जो निम्नवत् हैं :–

धारा 27(4). प्रत्येक संकाय का संकायाध्यक्ष होगा जिसे वरिष्ठता के क्रम से चक्रानुक्रम द्वारा प्रोफेसरों में से चुना जायेगा जिसका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। परन्तु यह भी कि यदि संकाय में कोई प्रोफेसर न हो तो संकायाध्यक्ष का पद रीडरों द्वारा धारित किया जायेगा और यदि कोई रीडर न हों तो उस संकाय में अन्य अध्यापकों द्वारा वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा धारित किया जायेगा, तथा

परिनियम 2.10(1) कोई ऐसा अध्यापक जिसने इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को :

(क) तीन वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि के लिए संकायाध्यक्ष का पद धारण कर लिया हो, यह समझा जाएगा कि वह अपनी बारी पूरी कर चुका है और ज्येष्ठता में पात्र अगला अध्यापक इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से संकायाध्यक्ष का पद धारण करेगा।

(ख) संकायाध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष पूरे न किये हों, तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक संकायाध्यक्ष का पद धारण किये रहेगा और ऐसी अवधि पूर्ण होने पर, ज्येष्ठता क्रम में पात्र अगला अध्यापक संकायाध्यक्ष के रूप में पद धारण करेगा।''

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में दी गयी उपर्युक्त व्यवस्थानुसार प्रत्येक संकाय का संकायाध्यक्ष होगा जिसे वरिष्ठता के क्रम से चक्रानुक्रम द्वारा प्रोफेसरों में से चुना जायेगा जिसका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

9. रिट ए नं0 46280/2014 डॉ0 नन्दलाल बनाम उ0प्र0 राज्य व 04 अन्य में पारित मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.05.2018 का अवलोकन किया गया। मा0 न्यायालय द्वारा इस आदेश में यह अवधारित किया गया है कि प्रवक्ता को संकाय का संकायाध्यक्ष तभी बनाया जा सकता है जब कोई प्रोफेसर उपलब्ध न हो। प्रोफेसर के उपलब्ध रहते हुए रीडर्स अथवा लेक्चरर्स में से संकायाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में विधि संकाय में, एकमात्र प्रोफेसर विपक्षी डॉ0 अशोक कुमार राय नियुक्त व कार्यरत हैं जिनके रहते हुए अधिनियम के प्रावधानानुसार तथा मा0 उच्च न्यायालय की उपरोक्त निर्णयज व्यवस्थानुसार रीडर्स अथवा लेक्चरर्स में से संकायाध्यक्ष का चुनाव/नियुक्ति नहीं की जा सकती है। चक्रानुक्रम का सिद्धान्त वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होता है क्योंकि विधि संकाय में केवल एक ही प्रोफेसर उपलब्ध हैं अन्य कोई प्रोफेसर

कुलाधिपति
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय
अयोध्या (उ०प्र०) - 224 001
CHANCELLOR
DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY
AYODHYA (U.P.) - 224 001

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN
LUCKNOW

Date : .....

उपलब्ध नहीं है, यदि संकाय में अन्य प्रोफेसर उपलब्ध होते तब चक्रानुक्रम का सिद्धान्त लागू होता। ऐसी परिस्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 12.07.2023 को निरस्त कर प्रत्यावेदक को संकायाध्यक्ष, विधि संकाय नियुक्त किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

10. अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन निरस्त करते हुए प्रकरण तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

Anandi Patel
(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्री अजय कुमार सिंह, सह–आचार्य, विधि विभाग, का०सु० साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या ।
2. डॉ० अशोक कुमार राय, संकायाध्यक्ष, विधि विभाग, का० सु० साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अयोध्या ।
3. कुलपति, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या ।

04.12.23
(डॉ० सुधीर एम० बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव

Issue Sri Shobhant
04.12.23

जारी 04-12-2023
समय . 6:20 P.M